उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
"शक्ति भवन" 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या-44-विनियम-23/पाकालि-2001-5विनियम/88(टीसी)        दिनांक: मार्च 30 ,2001

## कार्यालय ज्ञाप

कार्पोरेशन के ज्ञाप संख्या-4विनियम-23/पाकालि-2000-1रेगु0/2000 दिनांक 3.2.2000 द्वारा उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड मे विनियम बनाये जाने तक उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद द्वारा अपने कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी मामलों के निस्तारण हेतु बनाये गये विनियम (अद्यतन संशोधित) एवं तत्सम्बन्धी जारी प्रशासनिक आदेशों को कार्पोरेशन के कार्मिकों पर आवश्यक परिवर्तनों सहित (Mutatis Mutandis) लागू रखने के आदेश निर्गत किये गये है ।

2. उक्त आदेशों के अनुक्रम में उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड ने निर्णय लिया है कि उपरोक्त संदर्भित ज्ञाप दिनांक 3.2.2000 के बिन्दु-1 में उल्लिखित उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियंता सेवा विनियमावली - 1970 के विनियम-5(1) में निहित प्राविधानों को एतद्द्वारा निम्नवत् प्रतिस्थापित कर लागू किया जाय :-

विनियम 5 (भर्ती का स्रोत)

(1) सेवा में भर्ती हेतु सहायक अभियंता के कुल स्वीकृत पद निम्नानुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित रहेंगे तथा प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती/प्रोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष अलग-अलग की जायेगी । जिस वर्ष जिस वर्ग में पद रिक्त होंगे उसी वर्ग में भर्ती/प्रोन्नति की जायेगी ।

(क) 57 प्रतिशत ........प्रशिक्षित अभियंताओं मे से सीधी भर्ती हेतु ।

(ख) 33.33 प्रतिशत......अवर अभियंता से प्रोन्नति द्वारा चयन वर्ग के सदस्यों से परिशिष्ट "ग" में निहित रीति के अनुसार पदोन्नति हेतु ।

(ग) 1.33 प्रतिशत ......स्थायी एवं अर्ह संगणकों (चयन वर्ग) (विद्युत/यांत्रिक) से परिशिष्ट "ग" मे विहित रीति के अनुसार पदोन्नति हेतु ।

(घ) 8.33 प्रतिशत ......डिग्रीधारी अवर अभियन्ता/संगणक से प्रोन्नति हेतु ऐसे अवर अभियंता/संगणक जो बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 की अर्हता प्राप्त हो तथा चयन के वर्ष में वर्ष के प्रथम दिवस को उस रूप में तीन वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो, जिसकी गणना उनके द्वारा बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 परीक्षा उत्तीर्ण करने के दिनांक से परिशिष्ट "ग" मे निहित रीति के अनुसार की जायेगी ।

.......2

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त (घ) के विरुद्ध भरे जाने वाले पदों की संख्या, अवर अभियन्ता व संगणकों में से बाँटी जायेगी, जो उपर्युक्त (ख) एवं (ग) में वर्णित पदोन्नति के कोटे के अनुपात में होगी ।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सहायक अभियंता (सिविल) सेवा विनियमावली- 1970

विनियम -5 (भर्ती का स्रोत)

(1) सेवा में भर्ती, किसी भी वर्ष में निम्न प्रकार से की जायेगी :-

(I) परिशिष्ट "क" में वर्णित नियम व रीति के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा ---------------57 प्रतिशत

(II) परिशिष्ट "ख" में वर्णित रीति के अनुसार अवर अभियन्ता (सिविल) से पदोन्नति द्वारा ------$33\frac{1}{3}$ प्रतिशत

(III) परिशिष्ट "ख" में वर्णित रीति के अनुसार स्थायी व अर्हता प्राप्त संगणकों (प्रवरण श्रेणी) (…) से पदोन्नति द्वारा --------$1\frac{1}{7}$ प्रतिशत

(IV) डिग्रीधारी अवर अभियन्ता/ संगणक से प्रोन्नति हेतु ऐसे अवर अभियन्ता/ संगणक जो बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 की अर्हता प्राप्त हो तथा जिन्होंने चयन वर्ष के प्रथम दिवस (प्रथम जुलाई) को अवर अभियन्ता/संगणक पद पर 10 वर्षों की अर्ह सेवा पूरी कर ली हो --------------8.33 प्रतिशत

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त (घ) के विरुद्ध भरे जाने वाले पदों की संख्या, अवर अभियन्ता व संगणकों में से बाँटी जायेगी जो उपर्युक्त (ख) एवं (ग) में वर्णित पदोन्नति के कोटे के अनुपात में होगी ।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सहायक अभियंता (सिविल) सेवा विनियमावली- 1970

विनियम -5 (भर्ती का स्रोत)

(1) सेवा में भर्ती हेतु सहायक अभियंता के कुल स्वीकृत पद निम्नानुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित रहेंगे तथा प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती/प्रोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष अलग-अलग की जायेगी तथा जिस वर्ष, जिस वर्ग में पद रिक्त होंगे उसी वर्ग में भर्ती/प्रोन्नति की जायेगी :-

(क) परिशिष्ट "क" में वर्णित नियम व रीति के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा-------$50\frac{1}{3}$ प्रतिशत

(ख) परिशिष्ट "ख" में वर्णित रीति के अनुसार अवर अभियंता (सिविल) से पदोन्नति द्वारा ------------------40 प्रतिशत

(ग) परिशिष्ट "ख" में वर्णित रीति के अनुसार स्थायी व अर्हता प्राप्त संगणकों (प्रवरण श्रेणी) (सिविल) से पदोन्नति द्वारा ----------------------$1\frac{1}{3}$ प्रतिशत

(घ) डिग्रीधारी अवर अभियन्ता/संगणक से प्रोन्नति हेतु ऐसे अवर अभियन्ता/संगणक जो बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 अर्हता प्राप्त हों तथा जिन्होंने चयन वर्ष के प्रथम दिवस (प्रथम जुलाई) को अवर अभियन्ता/संगणक पद पर 10 वर्षों की अर्ह सेवा पूरी कर ली हो -----------$8\frac{1}{3}$ प्रतिशत

----------3

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त पदों के विरुद्ध भरे जाने वाले पदों की संख्या, अवर अभियंता व संगणकों में से बाँटी जायेगी, जो उपर्युक्त (ख) एवं (ग) में वर्णित पदोन्नति के कोटा के अनुपात में होगी ।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या- 44- (1) विनियम-23/पाकालि-2001 तद् दिनांक (30.3.2001)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
2- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
3- समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
4- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड ।
5- मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक/उप महा प्रबन्धक, लेखा शाखा, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
6- समस्त अधिकारी/अनुभाग, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
7- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 17.2.2001 को सम्पन्न बैठक के मद संख्या अठारह (18)/2001 पर लिये गये निर्णय की अनुपालन आख्या स्वरूप ।

आज्ञा से,

31/3/2001

(देवेन्द्र सिंह)
उप महा प्रबन्धक (प्र0से0)